Indian Judiciary System

- Supreme Court
- High Court
- District court

Indian Juciary
भारतीय-न्यायपालिका

Hierarchical Judiciary

Supreme Court/उच्चतम/सर्वोच्च
↑
High Court /उच्च-न्यायालय
↑
District Court / जिला सत्र-न्यायालय

Kanpur Dist. Court
उन्नाव बलिया औरैया

USA (Specific Judiciary)
S/C H/C
Civil Criminal

Supreme Court

- The Supreme Court of India is the highest judicial court and the final court of appeal under the Constitution of India.
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय तथा अंतिम अपीलीय न्यायालय है।
- India is a federal State and has a single and unified judicial system with three-tier structure, i.e. Supreme Court, High Courts and Subordinate Courts.
- भारत एक संघीय राज्य है और यहाँ एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसमें तीन-स्तरीय संरचना है, अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय।

❑ Brief History of Supreme Court:
सर्वोच्च न्यायालय का संक्षिप्त इतिहास:

- The promulgation of Regulating Act of 1773 established the Supreme Court of Judicature at Calcutta as a Court of Record, with full power & authority.
- 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act) के प्रख्यापन द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर की स्थापना एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में पूर्ण शक्ति और अधिकार के साथ की गई।
- It was established to hear and determine all complaints for any crimes and also to entertain, hear and determine any suits or actions in Bengal, Bihar and Orissa.
- इसे किसी भी अपराध से संबंधित सभी शिकायतों की सुनवाई और निर्णय करने तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसी भी वाद या मुकदमे की सुनवाई और निर्णय करने के लिए स्थापित किया गया था।

❑ Brief History of Supreme Court:
सर्वोच्च न्यायालय का संक्षिप्त इतिहास:

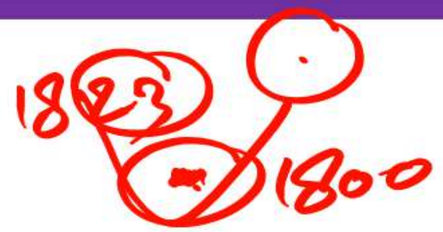

- The Supreme Courts at Madras and Bombay were established by King George III in 1800 and 1823 respectively.
- मद्रास और बंबई में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्रमशः 1800 और 1823 में किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा की गई।
- The India High Courts Act 1861 created High Courts for various provinces and abolished Supreme Courts at Calcutta, Madras and Bombay and also the Sadar Adalats in Presidency towns.
- 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम (India High Courts Act, 1861) ने विभिन्न प्रांतों के लिए उच्च न्यायालयों की स्थापना की और कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई के सुप्रीम कोर्ट तथा प्रेसिडेंसी नगरों के सदर अदालतों को समाप्त कर दिया।

❑ Brief History of Supreme Court:
सर्वोच्च न्यायालय का संक्षिप्त इतिहास:

- These High Courts had the distinction of being the highest Courts for all cases till the creation of Federal Court of India under the Government of India Act 1935.
- ये उच्च न्यायालय 1935 के भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act, 1935) के अंतर्गत संघीय न्यायालय (Federal Court of India) की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय रहे।
- After India attained independence in 1947, the Constitution of India came into being on 26 January 1950.
- 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ।

❑ Brief History of Supreme Court:
सर्वोच्च न्यायालय का संक्षिप्त इतिहास:

- The Supreme Court of India also came into existence and its first sitting was held on 28 January 1950.
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को आयोजित की गई।
- The law declared by the Supreme Court is binding on all Courts within the territory of India.
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है।

Constitutional Provisions

- The Indian Constitution provides for a provision of Supreme Court under Part V (The Union) and Chapter 6 (The Union Judiciary).
- भारतीय संविधान में भाग V (संघ) और अध्याय 6 (संघीय न्यायपालिका) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है।
- Articles 124 to 147 in Part V of the Constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, powers and procedures of the Supreme Court.
- संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार-क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
- Article 124(1) states that there shall be a Supreme Court of India constituting of a Chief Justice of India (CJI).
- अनुच्छेद 124(1) में यह प्रावधान है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) होंगे।

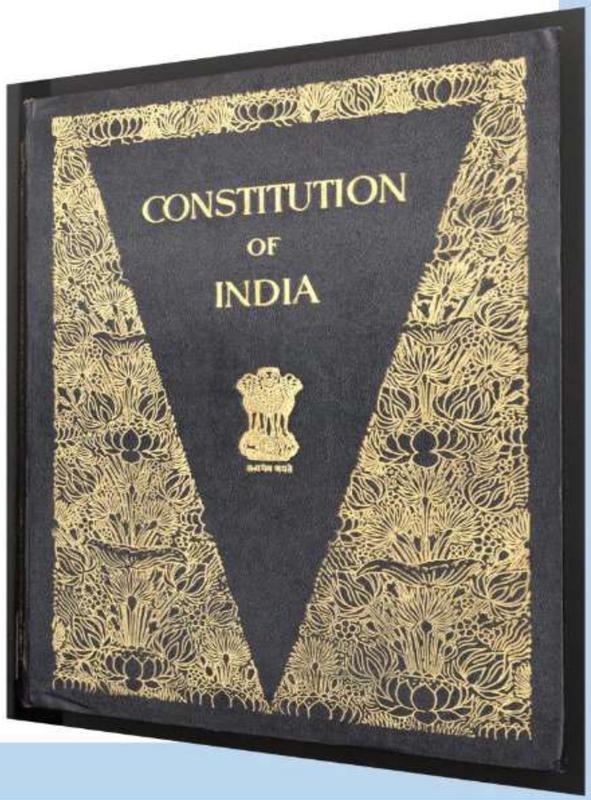

Organizational Structure of Supreme Court

- Originally, the strength of the Supreme Court was fixed at ei
- प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या आठ (1 + 7) निर्धारित की गई थी।
- At present, the Supreme Court consists of thirty-four judges (1 + 33).
- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश (1 + 33) हैं।
- Supreme Court (Number of Judges) Bill, 2019 has added four judges to the strength. It increased the judicial strength from 31 to 34, including the CJI.
- सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक, 2019 द्वारा चार न्यायाधीशों की वृद्धि की गई, जिससे कुल संख्या 31 से बढ़कर 34 हो गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल हैं।

	Supreme Court	High Court
Judges	34 = 33 + 1 (↓ CJI)	* जरूरत के हिसाब से।
Retire Age	→ 65 Yrs.	* 62 Yrs.
Writ	→ Only in fundamental Rights	* Can issue in fundamental rights & legal right
Appointed by	→ President	* President

Organizational Structure of Supreme Court

Seat of Supreme Court:
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय:

- The Constitution declares Delhi as the seat of the Supreme Court.
- संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय घोषित करता है।
- It also authorizes the CJI to appoint other place or places as seat of the Supreme Court.
- यह मुख्य न्यायाधीश (CJI) को अन्य स्थान या स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय का आसन (seat) निर्धारित करने का अधिकार भी देता है।
- He can take decision in this regard only with the approval of the President.
- इस संबंध में वे केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही निर्णय ले सकते हैं।

Appointment of judges
जजों की नियुक्ति

- The judges of the Supreme Court are appointed by the President.
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- The CJI is appointed by the President after consultation with such judges of the Supreme Court and High Courts as he deems necessary.
- मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है, जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं।
- Appointment of Chief Justice From 1950 to 1973: The practice has been to appoint the senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice of India.
- 1950 से 1973 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति: परंपरा यह रही कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था।

Appointment of judges
जजों की नियुक्ति

Art 50

- This established convention was violated in 1973 when A. N. Ray was appointed as the Chief Justice of India by superseding three senior judges.
- यह स्थापित परंपरा 1973 में भंग हुई जब ए. एन. रे को तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को दरकिनार कर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- Again in 1977, M. U. Beg was appointed as the Chief Justice of India by superseding the then senior-most judge.
- फिर 1977 में एम. यू. बेग को उस समय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को दरकिनार कर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- This discretion of the government was curtailed by the Supreme Court in the Second Judges Case (1993), in which the Supreme Court ruled that the senior most judge of the Supreme Court should alone be appointed to the office of the Chief Justice of India.
- सरकार के इस विवेकाधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश प्रकरण (Second Judges Case), 1993 में सीमित कर दिया, जिसमें निर्णय दिया गया कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

Collegium System

5 Member
1 CJI → 4 Judges

- Collegium system was born through "Three Judges Case" and it is in practice since 1998.
- कोलेजियम प्रणाली का उद्भव "तीन न्यायाधीश प्रकरण" (Three Judges Case) से हुआ और यह 1998 से प्रचलन में है।
- It is used for appointments and transfers of judges in High Courts and Supreme Court.
- इसका उपयोग उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए किया जाता है।
- There is no mention of the Collegium either in the original Constitution of India or in successive amendments.
- कोलेजियम का उल्लेख न तो मूल भारतीय संविधान में है और न ही बाद के किसी संशोधन में।

Collegium System

- The SC collegium is headed by the CJI (Chief Justice of India) and comprises four other senior-most judges of the court.
- सर्वोच्च न्यायालय का कोलेजियम मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता में होता है और इसमें न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- A HC collegium is led by its Chief Justice and four other senior-most judges of that court.
- उच्च न्यायालय का कोलेजियम उसके मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में होता है और उसमें उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

- Through the 99th Constitutional Amendment Act, 2014, the National Judicial Appointments Commission (NJAC) was established to replace the collegium system for the appointment of judges.
- 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की गई।

- However, the Supreme Court upheld the collegium system and struck down the NJAC as unconstitutional on the grounds that the involvement of the Political Executive in judicial appointment was against the "Principles of Basic Structure", i.e., the "Independence of Judiciary."
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कोलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यह कहते हुए कि न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी "मूल संरचना के सिद्धांत" अर्थात् "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के विरुद्ध है।

Qualification for appointment of judge

❑ A person to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualifications:

❑ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:

- He should be a citizen of India.
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- He should have been a judge of a High Court (or High Courts in succession) for five years; or
- वह किसी उच्च न्यायालय (या क्रमशः उच्च न्यायालयों) में कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो; या
- He should have been an advocate of a High Court (or High Courts in succession) for ten years; or
- वह किसी उच्च न्यायालय (या क्रमशः उच्च न्यायालयों) में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो; या
- He should be a distinguished jurist in the opinion of the President.
- राष्ट्रपति की दृष्टि में वह एक विशिष्ट विधिवेत्ता (distinguished jurist) होना चाहिए।

- The Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the Supreme Court
- संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है

Oath and Affirmation of judges
न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान

- The judges have to take oath before the President or any person appointed by the President for this.
- न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस हेतु नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है।
- In his oath, a judge of the Supreme Court swears:
- अपनी शपथ में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यह प्रतिज्ञा करता है:
- to bear true faith and allegiance to the Constitution of India;
- कि वह भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखेगा;
- to uphold the sovereignty and integrity of India;
- कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा;

Oath and Affirmation of judges
न्यायाधीशों की शपथ और प्रतिज्ञान

- to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgement to perform the duties of the Office without fear or favour, affection or ill-will; and
- कि वह बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के, अपनी पूर्ण क्षमता, ज्ञान और विवेक के अनुसार अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा; और
- to uphold the Constitution and the laws.
- कि वह संविधान और कानूनों की रक्षा करेगा।

Judicial

Tenure of Judges

- The Constitution has not fixed the tenure of a judge of the Supreme Court. However, it makes the following three provisions in this regard:
- संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है। तथापि, इस संबंध में निम्नलिखित तीन प्रावधान किए गए हैं:
- He holds office until he attains the age of 65 years.
- वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहता है।
- He can resign his office by writing to the President.
- वह राष्ट्रपति को लिखित रूप में त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है।
- He can be removed from his office by the President on the recommendation of the Parliament.

Removal of Judges

- A judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of the President.
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- The President can issue the removal order only after an address by Parliament has been presented to him in the same session for such removal.
- राष्ट्रपति हटाने का आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद द्वारा उसी सत्र में इस उद्देश्य से एक अभिभाषण (address) उन्हें प्रस्तुत किया गया हो।
- The address must be supported by a special majority of each House of Parliament (i.e. a majority of the total membership of that House and a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting).
- यह अभिभाषण संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए (अर्थात् उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का बहुमत)।
- The Judges Enquiry Act (1968) regulates the procedure relating to the removal of a judge of the Supreme Court by the process of impeachment.
- न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 (Judges Enquiry Act, 1968) महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करता है।

Removal of Judges

- The word 'impeachment' is not used in the constitution in relation to the removal of judges. However it is used only in the case of President.
- जजों को हटाने के लिए संविधान में 'इंपीचमेंट' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि, इसका इस्तेमाल सिर्फ़ प्रेसिडेंट के मामले में किया जाता है।
- No judge of the Supreme Court has been impeached so far. Impeachment motions of Justice V Ramaswami (1991–1993) and the Justice Dipak Misra (2017-18) were defeated in the Parliament
- अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पर महाभियोग नहीं लगाया गया है. जस्टिस वी रामास्वामी (1991-1993) और जस्टिस दीपक मिश्रा (2017-18) के महाभियोग प्रस्ताव संसद में हार गए थे.

Salaries and allowances of Judges

- The salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of the Supreme Court are determined from time to time by the Parliament.
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

Salary

CJI → ₹ 2,80,000/Month.

S/C Judges → ₹ 2,50,000/Month

CJ of H/C → ₹ 2,50,000/Month

H/C Judges → ₹ 2,25,000/Month

Jurisdiction and power of Supreme Court

Original Jurisdiction
(मूल अधिकार-क्षेत्र)

- As a Federal Court, the Supreme Court decides disputes between different units of the Indian Federation.
- एक संघीय न्यायालय के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का निर्णय करता है।
- the Centre and one or more States; or
- केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच; या
- the Centre and any State or States on one side and one or more States on the other; or
- केंद्र तथा एक या अधिक राज्य एक पक्ष में और एक या अधिक राज्य दूसरे पक्ष में; या
- between two or more States.
- दो या अधिक राज्यों के बीच।
- the Supreme Court has exclusive original jurisdiction.
- इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को विशिष्ट (Exclusive) मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।

Exclusive means, no other court can decide such disputes and original means, the power to hear such disputes in the first instance, not by way of appeal.

एक्सक्लूसिव का मतलब है, कोई दूसरा कोर्ट ऐसे झगड़ों पर फैसला नहीं कर सकता और ओरिजिनल का मतलब है, ऐसे झगड़ों को पहली बार सुनने का अधिकार, अपील के ज़रिए नहीं।

Writ Jurisdiction

- The Supreme Court is empowered to issue writs, including habeas corpus, mandamus, prohibition, quo-warranto and certiorari for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen.
- सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिनमें हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus), मण्डामस (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), क्वो-वारंटो (Quo Warranto) और सर्टियोरारी (Certiorari) शामिल हैं, ताकि किसी पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सके।
- However, the writ jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive. The High Courts are also empowered to issue writs for the enforcement of the Fundamental Rights.
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार-क्षेत्र विशिष्ट (exclusive) नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
- The writ jurisdiction of High Court is broader than the Supreme Court.
- उच्च न्यायालय का रिट अधिकार-क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है।

Appellate jurisdiction (V Imp.)

- The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgements of the lower courts.
- सर्वोच्च न्यायालय मुख्यतः एक अपीलीय न्यायालय है और निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।

It enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under four heads:

इसे व्यापक अपीलीय अधिकार-क्षेत्र प्राप्त है, जिसे चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- Appeals in constitutional matters (संवैधानिक मामलों में अपीलें)
- Appeals in civil matters (दीवानी मामलों में अपीलें)
- Appeals in criminal matters (फौजदारी मामलों में अपीलें)
- Appeals by special leave (विशेष अनुमति द्वारा अपीलें)

Advisory Jurisdiction

- The Constitution under Article 143 authorizes the President to seek the opinion of the Supreme Court in the two categories of matters:
- संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दो प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है:
- On any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise.
- किसी भी ऐसे विधि या तथ्य के प्रश्न पर, जो सार्वजनिक महत्व का हो और जो उत्पन्न हुआ हो या होने की संभावना हो।
- On any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instruments.
- किसी भी ऐसे विवाद पर, जो संविधान-पूर्व किसी संधि, समझौते, वचन, प्रतिबद्धता, सनद या अन्य समान साधनों से उत्पन्न हुआ हो।

Supreme Court as a Court of Record:
सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में:

- As a Court of Record, the Supreme Court has two powers:
- अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियाँ होती हैं:
- The judgements, proceedings and acts of the Supreme Court are recorded for perpetual memory and testimony.
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाहियाँ और कृत्य स्थायी अभिलेख एवं प्रमाण के रूप में दर्ज किए जाते हैं।
- These records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court.
- ये अभिलेख साक्ष्यात्मक मूल्य (evidentiary value) रखते हैं और किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

Supreme Court as a Court of Record:
सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में:

- They are recognized as legal precedents and legal references.
- इन्हें विधिक मिसाल (legal precedents) और विधिक संदर्भ (legal references) के रूप में मान्यता प्राप्त होती है।
- It has power to punish for contempt of court, either with simple imprisonment for a term up to six months or with fine up to Rs. 2,000 or with both.
- इसे न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति है, जिसमें अधिकतम छह माह का साधारण कारावास या 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।

Power of Judicial Review

- Judicial review is the power of the Supreme Court to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the Central and State governments.
- न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिनियमों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता की जाँच करता है।
- On examination, if they are found to be violative of the Constitution (ultra-vires), they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid (null and void) by the Supreme Court.
- जाँच के पश्चात यदि वे संविधान के विरुद्ध (Ultra Vires) पाए जाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध, असंवैधानिक और अमान्य (शून्य एवं शून्य) घोषित कर सकता है।

Contempt of Courts

- Contempt of Court refers to any acts or omissions that impede the functioning of a court of law in any manner.
- न्यायालय की अवमानना से आशय ऐसे किसी भी कृत्य या चूक से है जो किसी न्यायालय के कार्य में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करे।
- In India, the procedures and punishments related to contempt of courts are regulated by the Contempt of Courts Act, 1971.
- भारत में न्यायालय की अवमानना से संबंधित प्रक्रियाएँ और दंड अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

Contempt of Courts

As per the Act, contempt of courts can be of 2 types:
अधिनियम के अनुसार, न्यायालय की अवमानना दो प्रकार की होती है:

a. Civil Contempt: It refers to
सिविल अवमानना: इसका अर्थ है:

- Wilful disobedience to any judgment, order, writ, or other process of a court; or
- किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवहेलना करना; या
- Wilful breach of an undertaking given to a court.
- न्यायालय को दिए गए आश्वासन का जानबूझकर उल्लंघन करना।

b. Criminal Contempt: It refers to the publication of any matter or doing an act that
आपराधिक अवमानना: इसका अर्थ है किसी विषय का प्रकाशन करना या ऐसा कार्य करना जो:

- scandalizes or lowers the authority of a court; or
- न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाए या उसकी प्राधिकृति को कम करे; या
- prejudices or interferes with the due course of a judicial proceeding; or
- न्यायिक कार्यवाही की उचित प्रक्रिया में पक्षपात उत्पन्न करे या हस्तक्षेप करे; या
- interferes or obstructs the administration of justice in any other manner.
- किसी अन्य प्रकार से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न करे।